न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.29 / प्रा.पत्र / 2021 (GCMS No. 2021 / 68)	30.03.2021	19.11.2024

सरकार जर्ये तहसीलदार, तालेडा
(जिला बून्दी) — प्रार्थी

बनाम

1. बजरंगलाल उर्फ बजरंग सिंह पुत्र स्व. मोतीलाल, कौम धोला, निवासी ग्राम पीपल्दा हाडों का, तहसील तालेडा, जिला बूंदी
2. प्रेम पत्नी यादव सिंह पुत्र स्व. मोतीलाल, कौम धोला, हाल निवासी भूरिया गणेश जी की गली, रेतवाली टिपटा, कोटा।
3. सोभाग पत्नी रमेश सिंह पुत्र स्व. मोतीलाल, कौम धोला, हाल निवासी भूरिया गणेश जी की गली, रेतवाली टिपटा, कोटा।

— अप्रार्थीगण

कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम,1970

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री रविकुमार शर्मा, एडवोकेट।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त, कोटा के न्यायालय से अप्रार्थीगण की ओर से पेश की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2019 अपास्त कर प्रकरण अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है अथवा नहीं, संबंधी जांच की जाकर पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड होकर निर्णय दिनांक 18.01.2021 की प्रमाणित प्रति मय इस न्यायालय के मूल पत्रावली प्राप्त होने पर आदेश की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को वास्ते सुनवाई तलब किया गया तथा तहसीलदार तालेडा से आवंटन शर्तो की पालना के संबध में मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रकरण प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 29/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2021/68 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 19.07.2022 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा द्वारा निर्णय में प्रदत्त आदेश की पालना में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में वांछित मौका रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा से प्राप्त होने पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुवे तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटित भूमि पर आवंटी एवं उसके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, क्योंकि आंवटी के द्वारा आवंटित भूमि पर कभी कब्जा प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की गई। आवंटी फोत हो चुका है तथा उसके वारिस इस गांव में निवासरत नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में बृजराज सिंह, गजराज सिंह, अशोक सिंह पि0 जीवन सिंह कौम राजपूत सा0 पीपल्दा हाडों का का कब्जा काश्त है। आवंटी तथा वारिसान का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो का उल्लंधन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 स्वीकार कर आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अप्रार्थीगण के पिता मोतीलाल आ. जगन्नाथ कौम धोला को आवंटन का पात्र मानते हुये आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा खसरा सं. 506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का दिनांक 10.10.1977 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही उनके द्वारा सम्पूर्ण आवंटन शुल्क जमा करवा दिया गया था, अप्रार्थीगण को आज दिनांक तक भी आवंटन शुल्क जमा करवाये जाने हेतु तहसीलदार महोदय के यहां से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 अपने व्यापार के सिलसिले में ग्राम तालेडा में निवास करने लगा है, किन्तु समय समय पर अपने गांव आता–जाता रहता है। अप्रार्थीगण का आवंटन जिन मजमेंआम में उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर से निरस्त किया गया है उनके पिता का नाम तथा उनका निवास स्थान अंकित नहीं है। इससे ऐसा प्रमाणित होता है कि हल्का पटवारी तथा सरपंच महोदय द्वारा मौके पर उपस्थित होकर मौका निरीक्षण नहीं किया गया है केवल मात्र अपने कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति की गई है। अप्रार्थी तहसील कार्यालय तालेडा के पीछे ही निवास करता है, किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा जानबूझकर मिलीभगत कर नोटिसों की तामील नहीं करवायी है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधिविरूद्ध होने से अस्वीकार किया जाकर आवंटन बहाल कर भूमि अप्रार्थीगण के खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया, जिससे जाहिर आया कि दिनांक 10.10.1977 को मोतीलाल आ0 जगन्नाथ कौम धोला को भूमि खसरा संख्या 506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम पीपल्दा हाडों का आवंटन किया गया है। उक्त खसरा संख्या 506/1 की भूमि के शुद्व नम्बर 963/506 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा है। आवंटित भूमि पर आवंटी अथवा उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होना तहसीलदार, तालेडा द्वारा अवगत कराते हुये आवंटन निरस्ती के प्रस्ताव भिजवाये गये थे। तहसीलदार, तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1970 के बिन्दु संख्या 4(4) में अंकित किया था कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन राशि जमा नहीं करवायी है। आवंटी ग्राम पीपल्दा हाडों का में नहीं रहता है व न ही आवंटी ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत, लीलेडा व्यासान के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा नहीं होकर किसी अन्य का कब्जा है। प्रार्थना पत्र संख्या 67/2017 बउनवान सरकार बनाम बजरंगलाल वगै. दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किये गये, किन्तु बावजूद सूचना अप्रार्थीगण के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई। पेरोकार सरकार की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित पाये जाने से तथा आवंटी के कब्जा काश्त के अभाव में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.06.2019 से निरस्त किया जाकर भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा के यहां अपील दायर की गई। इस न्यायालय का आदेश अपीलांटस की सुनवाई किये बिना पारित किये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2021 से उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की गई। साथ ही आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में जांच करवाये जाने के आदेश प्रदत्त किये गये। प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित आकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु वादग्रस्त आराजी पर आवंटी या अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा न तो अपने लिखित जवाब में कहीं जिक्र किया और न ही दौराने बहस ही उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अपना कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार तालेडा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.07.2024 का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम पीपल्दा हाडों का के आराजी खसरा संख्या 963/506 रकबा 0.5989 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय ऑन लाईन जमाबंदी अनुसार सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व गैर खातेदारान बजरंग लाल उर्फ बजरंग सिंह पुत्र स्व. मोतीलाल, प्रेमबाई व सोभाग पुत्रिया स्व. मोतीलाल जाति धोला निवासी पीपल्दा हाडो का द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई काश्त नहीं जा रही है। अतः कब्जा काश्त के अभाव में पूर्व गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। उक्त आराजी वर्तमान में राजस्थान सरकार हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में सिवायचक भूमि होने से धारा 91 के तहत उक्त खसरा नम्बर 963/506 पर अतिक्रमी अशोक सिंह, बृजराज सिंह, मनराज सिंह पिता जीवन सिंह जाति राजपूत के नाम अतिक्रमी की रिपोर्ट की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन को बहाल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 से अप्रार्थी मोतीलाल आ0 जगन्नाथ कौम धोला को भूमि खसरा सं.506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 963/506 रकबा 0.5989 हैक्टेयर) वाकेग्राम पीपल्दा हाडों का, के आंवटन निरस्त किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 10.06.2019 की बाद सुनवाई उभयपक्ष एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी